

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 76 / 2024 (जी.सी.एम.एस. 2024 / 136)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- | | |
|--|---|
| 1. अमृतपाल सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। | 1. आमीन शर्मा पुत्र बलजीत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| 2. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। | 2. दलजीत सिंह शर्मा पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| 3. अमनप्रीत कौर पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। | 3. बलजीत सिंह शर्मा पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| 4. नसीब कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। | 4. लवजीत शर्मा उर्फ अनुराधा शर्मा पत्नी बलजीत सिंह जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| 5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। | 5. वारिस शर्मा पुत्र बलजीत सिंह जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 6. विद्या रानी पत्नी विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 7. मोहित कौशल पुत्र सुदेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 8. विक्रम कौशल पुत्र सुदेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 9. शीला शर्मा पत्नी सुदेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 10. सुहानी शर्मा पुत्री सुदेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 11. ऋषि गौतम पुत्र चिमनलाल जाति अरोडा निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 12. गौतम पुत्र चिमनलाल जाति अरोडा निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 13. लखविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 14. ललित कुमार पुत्र जगदीश राय जाति अरोडा निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 15. संदीप कुमार पुत्र किशनलाल जाति अरोडा निवासी श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर। |
| | 16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। |

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 15.05.2024

उपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादीगण

दिनांक: 24.07.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 08/05 के मुरब्बा नम्बर 1, 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 50/25 के मुरब्बा नम्बर 4, 9, 53/5, 53/8, 53/11 की कुल 5.288 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 59/52 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.007 हेक्टेयर भूमि हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 59/52 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.007 हेक्टेयर भूमि का वाहमी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त चक 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 9 ता 12 प्रत्येक 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.013 हेक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.127 हेक्टेयर, किला नम्बर 9 ता 12 प्रत्येक 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.126 हेक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.127 हेक्टेयर, किला नम्बर 19 ता 22 प्रत्येक 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.127 हेक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 7 की 0.013 हेक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.194 हेक्टेयर, किला नम्बर 13 सालम, किला नम्बर 14 की 0.013 हेक्टेयर, किला नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 23 सालम, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 15 की 0.240 हेक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.240 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.051 हेक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.013 हेक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.202 हेक्टेयर मय खाला, किला नम्बर 25 की 0.240 हेक्टेयर मय खाला,

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 10 की 0.037 हेक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 3 की 0.127 हेक्टेयर, किला नम्बर 4 सालम, किला नम्बर 5 की 0.013 हेक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 53/11 की 0.063 हेक्टेयर गैरमुमकिन खाल एवं मुरब्बा नम्बर 53/5 की 0.063 हेक्टेयर गैरमुमकिन खाल कुल 5.081 हेक्टेयर भूमि पर है। उक्त बंटवारा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काशत करते आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने रकबा पर काशत करते आ रहे हैं। वादीगण ने कच्चा काशत के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कच्चा काशत की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओं का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्ज्वल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कच्चा काशत के रकबा अंकित नहीं है। आज से 5 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोपजनक जवाब नहीं दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 08/05 के मुरब्बा नम्बर 1, 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 50/25 के मुरब्बा नम्बर 4, 9, 53/5, 53/8, 53/11 की कुल 5.288 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 59/52 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.007 हेक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 08/05 के मुरब्बा नम्बर 1, 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 50/25 के मुरब्बा नम्बर 4, 9, 53/5, 53/8, 53/11 की कुल 5.288 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 59/52 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.007 हेक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण अमृतपाल सिंह, सुरेन्द्रपाल सिंह, अमनप्रीत कौर, नसीब कौर, बलजिन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्राक 1781 दिनांक 02.07.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते हैं।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम चक 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 08/05 के मुरब्बा नम्बर 1, 2 की कुल 5.186 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 50/25 के मुरब्बा नम्बर 4, 9, 53/5, 53/8, 53/11 की कुल 5.288 हेक्टेयर भूमि व खाता संख्या 59/52 के मुरब्बा नम्बर 29, 48, 49, 51 की कुल 2.007 हेक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

सहायक निर्यात अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में	
अमृतपाल सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.410 हैक्टेयर)	12 ओ	1	1	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (2.173 हैक्टेयर)			2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
अमनप्रीत कौर पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.330 हैक्टेयर)		4	3/1	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
नसीब कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.828 हैक्टेयर)			8/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
बलजिन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.330 हैक्टेयर)			9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
			18/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
			19 ता 22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			23/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
		4	8/1	0.1941 हैक्टेयर	नहरी	1.73
			13	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			7/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
			14/1	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.11
			18, 23	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
		9	15	0.241 हैक्टेयर	नहरी	2.14
			16	0.240 हैक्टेयर	नहरी	2.13
			22/5	0.040 हैक्टेयर	नहरी	0.36
			23/3	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
			24	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.57
			25	0.222 हैक्टेयर	नहरी	1.97
		29	10/1	0.0308 हैक्टेयर	नहरी	0.27
		51	3/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.12
			4	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
			5/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.12
			53/5	0.1321 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			53/8	0.010 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एवं रहन बवस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नकशा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिग्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[Signature]
सहायक कलेक्टर एवं पेट्टे अधिकारी
श्रीकरणपुर (विभाजन)

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इंजलिस सुनाया गया।

[Signature]
सहायक कलेक्टर एवं पेट्टे अधिकारी
श्रीकरणपुर (विभाजन)



दिनांक: 30

क्रमांक: रीडर/ 2025/576

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



सहायक
कलेक्टर एवं पदे
उपरिष्ठ अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला
श्रीकरणपुर